

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के अंक 203 के ऊपर वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को रू0 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 के औसत सूचकांक 278 पर दिनांक : 01-04-2017 से 30-09-2017 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत होगा :-

$$(278-203) \times 20 = 1500.00$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0
1	2	3	4
1	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन	346 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001 दिनांक 6-3-13	1500.00
2	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	1500.00
3	मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन	तदैव	1500.00
4	वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	1500.00
5	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1500.00
6	परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	1500.00
7	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	1500.00
8	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव	1500.00
9	सिले सिलाए कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1500.00
10	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	346 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
11	प्राईवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राईवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	1500.00
12	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	तदैव	1500.00

(2)


1	2	3	4
13	धातु उद्योग में नियोजन	346 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
14	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	1500.00
15	ऐसे अभिनियंत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।	तदैव	1500.00
16	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	1500.00
17	सडकों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन	347 / VIII / 13-228(श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
18	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।	तदैव	1500.00
19	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	1500.00
20	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	1500.00
21	आइसकैन्डी / आइस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1500.00
22	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1500.00
23	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1500.00
24	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पादन विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1500.00
25	लाण्ड्री या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव	1500.00
26	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	1500.00
27	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	1500.00
28	पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	1500.00
29	कपडा छपाई में नियोजन	348 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
30	कलबों में नियोजन	349 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
31	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	351 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
32	यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।	तदैव	1500.00
33	आटोमोबाईल रिपेयर्स में नियोजन।	तदैव	1500.00

(3)

1	2	3	4
34	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	350 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
35	वाणिज्य अधिष्ठानों में नियोजन	352 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
36	दुकानों में नियोजन।	352 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
37	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	353 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
38	सिलाई उद्योग में नियोजन	354 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
39	एलोपैथिक, आर्युवेदिक और यूनानी फार्मसियों में नियोजन	355 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
40	छोटा मिनियेचन बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मे की शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन।	356 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
41	धर्मशालाओं में नियोजन	357 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
42	निजी पुस्तकालयों में नियोजन	358 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
43	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	359 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
44	प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।	360 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
45	हौजरी उद्योग में नियोजन	362 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
46	चाय बागान में नियोजन	361 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
47	1-किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में और	363 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
48	2-किसी तेल मिल में नियोजन		
49	वनिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन	364 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
50	ईट भट्टा उद्योग में नियोजन	365 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00

(4)

1	2	3	4
51	काष्ट कार्य और फर्नीचर में नियोजन	366 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
52	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	367 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
53	कालीन बुनाई बुनकरों तथा कताई करने वालों को छोड़कर	368 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
54	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	369 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00
55	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदैव	1500.00
56	खाण्डसारी में नियोजन	तदैव	1500.00
57	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग	370 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13	1500.00


 (डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
 श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
 हल्द्वानी।
 व. स.

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड हल्द्वानी।

संख्या 866


/4-01/13

दिनांक 22/02/2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर, प्रतिपालन कराने का कष्ट करें तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

1- उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।

2- उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।


 (डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
 श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
 हल्द्वानी।
 व. स.